/.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

::– विविध आदेश –::

क्रमांक 53 /दो–1–1/2005 हरदा दिनांक 22/07/2023

मैं, तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा जिला हरदा न्यायिक जिला स्थापना हरदा पर प्रशासनिक कार्य को गतिशीलता प्रदान करने, एवं उनका सूक्ष्मतापूर्वक कियान्वयन करने हेतु विभिन्न समितियों के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक के लिए निम्नानुसार समितियों का गठन करती हूं :–

क0	समिति का नाम	समिति का कार्यक्षेत्र/कार्य	संरचना/गठन
1	जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति	पक्षकारों तथा अधिवक्ता संघ के सदस्यों के शिकायतों के निवारण के लिए जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ए/3278/ दो–1524 /77 (भाग–दो)दिनांक 12.09.14 से अधिसूचित किया गया है।	01 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश– अध्यक्ष (पदेन) 02 जिला रजिस्ट्रार/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा– सचिव 03 श्री अहादुल्ला उस्मानी, अधिवक्ता म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के द्वारा नामांकित– सदस्य 04 अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, हरदा– सदस्य 05 सचिव जिला अधिवक्ता संघ हरदा– सदस्य
2	सेवा मामलों से संबंधित प्रशासकीय समिति,	1. समिति दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में इस स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करायेगी। 2. समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान एवं पदोन्नति समयमान वेतनमान आदि की अनुशंसा उनके सेवा अभिलेखों का परीक्षण करके करेगी। 3. समिति समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किसी कर्मचारी की पदोन्नति एवं वेतनमान आदि से संबंति मामला सुपुर्द किए जाने पर उसका निरीक्षण कर	01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष 02 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा– सदस्य 03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य 04 प्रशासनिक अधिकारी– सचिव

		अपना अभिमत देगी।	
3	छानबीन समिति।	1. समिति उन समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने अपनी सेवा को 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, के सेवा अभिलेखों का परीक्षण यथा समय करके इस बिन्दु पर अपना प्रतिवेदन देगी कि क्या ऐसे कर्मचारियों को सेवा में निरंतर रखना जनहित में उचित होगा। 2. समिति प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुपुर्द किये गये उक्त प्रकार के मामलों का परीक्षण कर अपना अभिमत देगी।	01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष 02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा– सदस्य 03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य 04 जिला रजिस्ट्रार/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा – सदस्य 05 प्रशासनिक अधिकारी– सचिव
4	पदोन्नति समिति	जिला न्यायालय सामान्य स्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय स्थापना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पदोन्नति से संबंधित मामले।	01 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश– अध्यक्ष (पदेन) 02 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – सदस्य 03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हरदा/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – सदस्य 04 प्रशासनिक अधिकारी– सचिव
5	स्थानांतरण नीति/एकीकृत गाईड 2015 के अंतर्गत वार्षिक स्थानांतरण श्रंखला व स्थानांतरण मामलों पर कार्य हेतु समिति।	1. माननीय रजिस्ट्री जबलपुर के स्थानांतरण नीति एकीकृत दिशा–निर्देश "परिपत्र" कमांक सी/1560/तीन–18–180/75 (गाईडलाईन) जबलपुर दिनांक 11.04. 2022 के अंतर्गत अंतरमण्डलीय स्थानांतरण मामलों पर कार्य हेतु। समिति नवनियुक्त कर्मचारियों के पदस्थापना संबंधी मामलों को भी देखेंगी।	01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष 02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सदस्य 03 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा –सदस्य 04 जिला रजिस्ट्रार/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा – सदस्य 05 प्रशासनिक अधिकारी– सचिव

		2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशानुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के स्थानांतरण एवं पदस्थापना करना। 3. तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के संबंध में तीन वर्ष से अधिक समयावधि तक एक ही पद पर पदस्थ रहने की जानकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर स्थानांतरण प्रस्ताव प्रधान जिला न्यायाधीश की ओर प्रेषित किया करेंगे।	
6	क्रय–समिति।		01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0 ज0जा0 अत्याचार निवारण – अध्यक्ष 02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सदस्य 03 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा – सदस्य 04 जिला रजिस्ट्रार/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा – सदस्य 05 प्रशासनिक अधिकारी – सचिव

कार्य –

1. उपलब्ध बजट को देखते हुए कार्यालय एवं न्यायालयों की मांग अनुसार समिति उपकरण, फर्नीचर व स्टेशनरी क्रय करने हेतु प्रतिवेदन मय गुणवत्ता व प्रदायकर्ता के नाम का निर्धारण कर यथासमय प्रस्तुत करेगी।
2. इसके अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता की स्टेशनरी क्रय करने हेतु कोटेशन आहुत करने के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
3. समिति कार्यालय एवं न्यायालयों की आवश्यकतानुसार शासकीय मुद्रणालय से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की अनुशंसा करेगी।
4. समिति प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य सामग्री क्रय करने हेतु प्रतिवेदन उनकी गुणवत्ता एवं प्रदायकर्ता के नाम का निर्धारण करके प्रस्तुत करेगी।
5. समिति कार्यालय एवं समस्त न्यायालयों से उनकी मांग अनुसार पुस्तक क्रय किये जाने की अनुशंसा करेगी तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुस्तकें क्रय किये जाने की अनुशंसा करेगी।

6. समिति विस्तृत जानकारी तैयार करेगी कि किस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कब–कब वर्दी व कोट विगत पांच वर्ष में प्राप्त हुए।

7. समिति उपलब्ध बजट के आधार पर गुणवत्ता निर्धारित कर वर्दी क्रय किये जाने की अनुशंसा करेगी।

8. समिति के मापदण्ड तैयार करेगी, जिसके आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी एवं कोट दिये जावेंगे।

7	जिला स्तरीय ई–कोर्ट प्रोजेक्ट पॉलिशी एवं एक्शन प्लान तथा कम्प्यूटर समिति सूचना, संचार व प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के संबंध में समिति।	जिला स्तरीय ई–कोई तथा कम्प्यूटर समिति सूचना, संचार व प्राद्यौगिकी (आई.सी.टी.) के सामान्य प्रबंधन व रजिस्ट्री आई.टी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मेमों क्र0 3436 दिनांक 30.07.15 के अंतर्गत ई–कोर्ट योजनाओं के कियान्वयन व फाईलिंग सेंटर तथा आदेशिका केन्द्र समस्त प्रकार के कार्यो के लिए जिनमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है।	01 तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा– अध्यक्ष 02 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हरदा– सदस्य 03 सिस्टम ऑफिसर 04 श्री मातादीन चौहान, सहा0 ग्रेड–2 / डी.एस.ए.– सचिव
8	कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्य हेतु शिकायत समिति।	कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्य हेतु एवं लिंग संवेदीकरण और महिला अनुशासन संबंधी यौन उत्पीड़न विनिमय वर्ष 2015 के संबंध में कार्य करने हेतु।	01. विशेष न्यायाधीश, अजा0 / अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण– अध्यक्ष 02. तृतीय व्यव.न्याया. कनिष्ठ खण्ड –सदस्य 03 श्रीमती रंजना भारद्वाज अधिवक्ता–सदस्य 04 उप प्रशासनिक अधिकारी– सचिव
9	ग्रंथालय समिति।	ग्रंथालय से संबंधित कार्य	01 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– अध्यक्ष 02 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड / सी.जे.एम. – सदस्य 03. जिला रजिस्ट्रार / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा –सदस्य 04 ग्रंथपाल– सचिव
10	जिला मुख्यालय हरदा पर भौतिक अधोसंरचना के विकास तथा न्यायालयों व न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के रख रखाव हेतु व 14वें	जिला मुख्यालय हरदा पर भौतिक अधोसंरचना के विकास तथा न्यायालयों व न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के रख रखाव हेतु व 14वें वित्त आयोग की योजनाओं हेतु तथा स्वच्छ न्यायालय अभियान हेतु।	01 विशेष न्यायाधीश अजा. / अ.ज.जा. अत्याचार निवारण–अध्यक्ष 02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– सदस्य 03 जिला रजिस्ट्रार / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा– सदस्य 04 प्रशासनिक अधिकारी– सचिव

	वित्त आयोग की योजनाओं हेतु समिति।		
11	कर्मचारी कल्याण समिति	तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण योजना/उपायों व अन्य सभी सुसंगत मामलों पर अनुसंशा के लिए	01. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय–अध्यक्ष 02 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– सदस्य 03. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–सदस्य 04. जिला रजिस्ट्रार/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा
12	खिरकिया व टिमरनी में भौतिक अधोसंरचना विकास व न्यायालयों तथा न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों के अवासों के रख रखाव हेतु उपसमिति।	खिरकिया व टिमरनी में भौतिक अधोसंरचना विकास व न्यायालयों तथा न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों के अवासों के रख रखाव हेतु।	01 विशेष न्यायाधीश, अजा0/अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण–अध्यक्ष 02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट –सदस्य 03 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ जे.एम.एफ.सी. खिरकिया–सदस्य 04 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ जे.एम.एफ.सी. टिमरनी –सदस्य 05 जिला रजिस्ट्रार/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा – सदस्य 06 उप प्रशासनिक अधिकारी– सचिव
13	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 तथा आपराधिक न्यायालय नियमों के अनुसार सिविल व आपराधिक मामलों के निराकृत अभिलेखों के नष्टीकरण हेतु समिति।	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 तथा आपराधिक न्यायालय नियमों के अनुसार सिविल व आपराधिक मामलों के निराकृत अभिलेखों के नष्टीकरण हेतु।	01 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – अध्यक्ष 02 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 03 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ सी.जे.एम., हरदा – सदस्य 04 अभिलेखापाल– सचिव
14	स्वच्छता अभियान समिति।	स्वच्छता से संबंधित कार्य।	01. विशेष न्यायाधीश अजा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण – अध्यक्ष 02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा – सदस्य 03 जिला रजिस्ट्रार/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा –सदस्य 04 जिला नाजिर– सचिव
15	आपदा प्रबंधन समिति।	रजिस्ट्री जबलपुर के आदेशानुसार इस स्थापना पर आपदा प्रबंधन नीति संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु।	01. विशेष न्यायाधीश अजा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण – अध्यक्ष 02 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा – सदस्य

			03 जिला रजिस्ट्रार / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, हरदा –सदस्य 04 जिला नाजिर– सचिव

माननीय रजिस्ट्री के आदेश के अनुक्रम में समिति क्रं. 1 की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को आयोजित होगी। समिति क्र. 2 लगायत 8, 10, 11, 12, 13 व 15 आवश्यकतानुसार बैठकें करेंगी। समिति क्रं. 9 तथा समिति क्र. 14 की बैठके प्रत्येक माह में 01 बार नियत होगी। बैठकों का ब्यौरा बैठकों के ठीक बाद अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे। संबंधित समिति के सचिव समिति के वरिष्ठतम सदस्य से होने वाली बैठक की तिथि, समय व स्थान निश्चित करेंगे। तिथियों को परिवर्तित या समायोजित आवश्यकतानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा।

(तृप्ति शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

पृ0क्र0 960 / दो–1–1 / 05
हरदा, दिनांक– 25 / 07 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. समस्त न्यायिक अधिकारी, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
3. कार्यपालन यंत्री (भ / स), लोक निर्माण विभाग, हरदा
4. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0म0क्षे0वि0वि0 कंपनी लिमिटेड, हरदा
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, हरदा
6. प्रशा0 / उप.प्रशा0 अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
7. श्रीमती रंजना भारद्वाज, अधिवक्ता, जिला न्यायालय परिसर, हरदा
8. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष, हरदा
9. जिला नाजिर / अभिलेखापाल / ग्रंथपाल जिला न्यायालय, हरदा
10. डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग हरदा
11. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग हरदा की ओर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट / न्यायिक अधिकारीगण की ई–मेल आई.डी. पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)